फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

आम जनता भडग्यावास बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0– 92/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम भडग्यावास तहसील बहरावण्डा के रहने वाले है तथा ग्राम में स्थित विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में हो गया है जिसे कंउम घोषित किया जा चुका है तथा बच्चों को पढाई करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। ग्राम भडग्यावास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 1.79 है0 सिवायचक सरकारी भूमि है तथा ग्राम भडग्यावास में मध्य में स्थित है। उक्त सिवायचक सरकारी भूमि हाल खसरा नम्बर 115 में सेटलमेण्ट पूर्व कही भी कोई गै0मु0 नला अंकित नहीं था और ना ही मौके पर कोई नला था और ना ही आज दिन कोई नला है। आराजी वादग्रस्त के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर बीघा बिस्वा की बजाय है0 में अंकित कर दिया गया है उक्त सिवायचक सरकारी भूमि खसरा नंबर 115 रकबा 1.7900 है0 साबिका नंबर 54 किस्म बंजड पूला से बने है। कानूनन सेटलमेण्ट विभाग एवं उसके कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर और सिवायचक सरकारी भूमि खसरा नंबर 115 रकबा 1.7900 है0 भूमि सैटलमेण्ट पूर्व नला अंकित नहीं होने तथा मौके पर कोई नला नहीं होने के बावजूद भी उक्त भूमि की किस्म बिना किसी अधिकार के गैर मुमकिन नला दर्ज कर दी जो गलत है इसलिए पूर्व इन्द्राज अनुसार ही दर्ज करना चाहिए था। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भडग्यावास तह0 बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नंबर 115 रकबा 1.7900 है0 किस्म गैर मुमकिन नला की जगह उक्त भूमि की किस्म बंजड पूला करने का आदेश देने की कृपा करें तदनुसार तहसीलदार बहरावण्डा को उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नला की बजाय बंजड पूजा अंकित करने का आदेश दिया जावे। एवं विद्यालय भवन के नाम से आवंटन के आदेश दर्ज करें। इत्यादि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब तलब किया गया एवं जवाब प्राप्त कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जवाब में यह अंकित किया है कि उक्त खसरा के किस्म परिवर्तन जमाबंदी संवत 2031–34 में जरिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश से नामान्तकरण संख्या 129 निर्णय दिनांक 30.11.1978 से किया गया है।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उक्त से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि कि किस्म परिवर्तन सैटलमेण्ट द्वारा न कर न्यायालय आदेश से किया गया है। इसलिए इस न्यायालय स्तर से किसी प्रकार की दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा